न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, विद्युत अपराध अधि. 2003, अजमेर
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अजमेर)
––––––––––––––––

पीठासीन अधिकारी :: डॉ. रेनू श्रीवास्तव, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांक 29–04–2026
सेशन प्रकरण संख्या– 25/2023
सी.आई.एस. पंजीयन संख्या– 146/2023

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 133/2022 पुलिस थाना एपीटीपीएस., जिला अजमेर, राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003

भाग–1
(क)

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ट लोक अभियोजक
अभियुक्त	नवरतन पुत्र स्व. श्री फूलचंद, उम्र 32 वर्ष, निवासी अजयनगर,पी एस रामगंज, अजमेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री शिवदत्त
परिवादी	कमल किशोर मुंडोतिया, सीनियर इंजीनियर, टीपीएडीएल सतर्कता जिला अजमेर
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक श्री विजय स्वामी।

(ख)

अपराध की दिनांक	27–09–2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	15–06–2022
आरोप पत्र की दिनांक	02–05–2023
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	02–05–2023
साक्ष्य आरंभ की दिनांक	12–09–2023
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि	29–04–2026
निर्णय सुनाने की दिनांक	29–04–2026
दण्डादेश (यदि हो तो) दिनांक	––––

(ग) अभियुक्त का विवरण

"Authenticated Document"

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर बाहर होने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दंडादेश का विवरण	धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01	नवरतन	02–03–23	03–03–23	अपराध अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003	---	---	---

भाग–2

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

(क)अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.डब्ल्यू.–01	अंजली कड़ेल	बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता
पी.डब्ल्यू.–02	अंकित सिंघल	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता,
पी.डब्ल्यू.–03	प्रिती सिंह	बयान 161 द प्र सं., मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू.–04	आर्यन टाक	चश्मदीद साक्षी, बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता,
पी.डब्ल्यू.–05	धर्मेन्द्र कुमार	चश्मदीद साक्षी, बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता,
पी.डब्ल्यू–06	प्रवीण सिंह	चश्मदीद साक्षी, बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता,
पी.डब्ल्यू–07	तृप्ति गौतम	नोटिस व डवलप फोटोग्राफ्स
पी.डब्ल्यू–08	रतन सिंह	फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू–09	कमल किशोर मुण्डोतिया	परिवादी, नक्शा मौका, बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता,
पी.डब्ल्यू–10	बुद्धि प्रकाश	अनुसंधानाधिकारी

(ख)(प्रतिरक्षा साक्षी)

"Authenticated Document"

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रति
शून्य		

(ग) न्यायालय साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रति
शून्य	शून्य	शून्य

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची अभियोजन प्रदर्श/प्रतिरक्षा प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(क)अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01	प्रदर्श पी–01	नक्शा मौका
02	प्रदर्श पी–02	आधार कार्ड मुलजिम
03	प्रदर्श पी–03	वी सी आर
04	प्रदर्श पी–04	फर्द जब्ती
05	प्रदर्श पी–05 से 15	फोटोग्राफ
06	प्रदर्श पी–16	असेसमेंट शीट
07	प्रदर्श पी–17 व 18	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
08	प्रदर्श पी–19 व 20	नोटिस
09	प्रदर्श पी–21	वी सी आर
10	प्रदर्श पी–22	फर्द गिरफ्तारी
11	प्रदर्श पी–23	फर्द जब्ती
12	प्रदर्श पी–24	असेसमेंट शीट
13	प्रदर्श पी–25 लगायत 32	फोटोग्राफ्स
14	प्रदर्श पी–33	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
15	प्रदर्श पी–34	तहरीरी रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी–35	चॉक एफ आई आर

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श संख्या मय साक्षी	वर्णन

"Authenticated Document"

संख्या	द्वारा प्रदर्शित	
–––	–––	–––

(ग) न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
शून्य		

(घ) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्रम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
01	जब्ती अनुसार		

01. इस प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना एटीपीएस, अजमेर की ओर से अभियुक्त नवरतन के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी कमल किशोर मुंडोतिया, सीनियर इंजीनियर सतकर्ता, अजमेर ने संबंधित थाने में रिपोर्ट पेश की कि वह तकनीकी कर्मचारियो व अधिकारियों के साथ दिनांक 27–09–2021 को समय 07:50 PM बजे उपभोक्ता नवरत्न पुत्र फूल चन्द, कंजर बस्ती, रामगंज, अजमेर, उप खण्ड डी। हजारीबाग के उक्त जांच में पाया गया की उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगा हुआ है, परन्तु उभोक्ता द्वारा पास लगे विद्युत ए.टी. लाइन के पोल से काले रंग का अवैध तार डालकर विद्युत चोरी करता पाया गया है तथा जिसका मौके पर विद्युत भार 4.346 किलोवाट पाया गया। गवाहों के समक्ष VCR संख्या 46/45 दिनांक 27–09–2021 को भरी गई तथा मौके के फोटोग्राफी व विडियोग्राफी की गई। जांच में विद्युत चोरी का अपराध पाये जाने पर उपभोक्ता का वैधानिक दायित्व की अंतिम रूप से निर्धारित राशि का नोटिस रजिस्टर्ड डाक

"Authenticated Document"

द्वारा भेजा गया, उक्त उपभोक्ता ने वैधानिक दायित्व राशि 52,716/– अभी तक जमा नहीं कराई गयी है, अतः उक्त व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाए।

03. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना एपीटीपीएस, अजमेर ने मुकदमा नम्बर 133/22 अंतर्गत धारा 135 विधुत अधिनियम मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान नवरतन के विरूद्ध जुर्म धारा 135 विधुत अधिनियम 2003 में आरोप–पत्र पेश किया गया, जिसे नियमानुसार इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप को सुन–समझकर इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाने के कथन किए। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

06. दोनों पक्षों की बहस अंतिम सुनी गयी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया है कि अभियुक्त मामलें में निर्दोष है। अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य कथनों में विरोधाभास है, जिस वी सी आर के संबंध में कार्यवाही की गई के बाबत किसी प्रकार के ठोस बयान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये है, अभियुक्त परिसर का मालिक नहीं है और उसने विद्युत चोरी नहीं की है, जिससे अभियोजन की ओर से साक्ष्य में परिक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी समर्थित नहीं होती है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

"Authenticated Document"

08. विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस के दौरान यह जाहिर किया है कि अभियुक्त के द्वारा वरवक्त घटना एल.टी. विद्युत पोल से चालू लाईन में काले रंग का अवैध तार जोड़कर विद्युत चोरी की है, जिससे परिवादी विभाग को नुकसान हुआ है, जो पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध में दोषी करार दिया जावे।

09. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि:–

1– क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.09.2021 को समय 01.50 पी. एम. पर स्थान कजर बस्ती, रामगंज, अजमेर उपखण्ड डी 1 हजारी बाग के अपने घरेलु परिसर में परिवादी विभाग, ए.वी. वी.एन.एल. की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से एल.टी. लाइन के विद्युत पोल से काले रंग के अवैध तार द्वारा डाइरेक्ट विधुत चोरी कर उसका उपभोग किया है।

2– यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा ?''

10. उक्त विचारणीय बिन्दू के संदर्भ में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–34 का अवलोकन किया गया। जिसमें परिवादी कमल किशोर मुण्डोतिया ने घटना के संदर्भ में यह जाहिर किया है कि दिनांक 27–09–2021 को उपभोक्ता नवरत्न पुत्र फूल चन्द, कंजर बस्ती, रामगंज, अजमेर के परिसर की जांच में पाया गया की उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगा हुआ है, परन्तु उभोक्ता द्वारा पास लगे विद्युत ए.टी. लाइन के पोल से काले रंग का अवैध तार डालकर विद्युत चोरी करता पाया गया है, जिसका मौके पर विद्युत भार 4.346 किलोवाट पाया गया। गवाहों के समक्ष VCR संख्या 46/45 दिनांक 27–09–2021 को भरी गई तथा मौके के फोटोग्राफी व विडियोग्राफी की गई। जांच में विद्युत चोरी का अपराध पाये जाने पर उपभोक्ता का वैधानिक दायित्व की अंतिम रूप से निर्धारित राशि का नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया।

"Authenticated Document"

11. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस दिनांक 15.06.2022 को करते हुऐ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्त ने अपने घरेलू परिसर में बेईमानी पूर्वक आशय से एल.टी. लाईन से काले रंग का अवैध तार डाईरेक्ट जोडकर विद्युत चोरी की इस संदर्भ में सर्वप्रथम परिवादी कमल किशोर मुण्डोतिया के सशपथ कथनों को देखा गया, जिसने पी. डब्ल्यू. 9 के रूप में परीक्षित होते हुऐ यह सशपथ कथन किये है कि दिनांक 27.09.2021 को करीब समय लगभग 1.50 पीएम के आसपास मैं नवरतन कंजर, निवासी कंजर बस्ती, हजारीबाग के यहां अपनी टीम के साथ सतर्कता जांच हेतु गये थे। परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर उपभोक्ता पास लगे एलटी पोल से काले रंग की अवैध तार डालकर बिजली की चोरी करता हुआ पाया गया। मेरे द्वारा मौके पर वीसीआर भरी गई जो प्रदर्श पी–21 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी अविनाश के हस्ताक्षर है और ई से एफ बदरूद्दीन के हस्ताक्षर है और जी से एच प्रवीण के हस्ताक्षर है जिनके साथ में काम करने से उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं। मौके पर अवैध तार करीब 10 मीटर जब्त कर फर्द जब्ती बनाई गई जो प्रदर्श–23 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है और सी से डी अविनाश के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर में साथ काम करने से पहचनाता हूं। मेरे द्वारा अस्समेंट शीट बनाई गई जो प्रदर्श पी–24 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा मौके पर फोटोग्राफस खीचें गये जो प्रदर्श पी–25 लगायत प्रदर्श पी–32 है जिस पर प्रत्येक पर मेरे हस्ताक्षर है। धारा 65 बी का प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–33 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरी उपस्थिती में घटनास्थल का नक्शामौका दिनांक 21.07.2022 को बनाया गया जो प्रदर्श पी–01 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है व जिसके पुश्त भाग में भी ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। नोटिस के उपरान्त भी राशी नहीं जमा करवाने के कारण मेरे द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना एपीटीपीएस अजमेर को दी गई जो प्रदर्श पी–34 है जिस ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

जिरह में उक्त गवाह ने यह जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि जब

"Authenticated Document"

कार्यवाही शुरू की थी, तब केवल मेरे विभाग के ही व्यक्ति थे, कोई स्वतंत्र व्यक्ति मौजूद नहीं था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–34 के ई से एफ भाग के संबंध में ना ही तो कोई पोस्ट रसीद और ना ही तामिली रिपोर्ट पत्रावली पर मौजुद है, जो हमने डाक सेप्रेषित किया। यह कहना सही है कि मौके पर परिसर में संजना पत्नी रामजीलाल मिली थी, सारे उपकरण उसके घर में लगे हुए है। प्रदर्श पी–26 में जो लाईन व परिसर दर्शाया गया है वह नवरतन का है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर नवरतन के मकान के मालिकाना हक बाबत दस्तावेज नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 33 पर सी से डी भाग पर काट–छांट मेरे द्वारा की गई थी, जिसे विभाग में बैठकर तैयार किया गया था।

12. जाँच दल के अन्य मौके पर मौजूद गवाहान की साक्ष्य को देखा गया। मुताबिक साक्ष्य अंजली कड़ेल, पी.डब्ल्यू. 1, अंकित सिंघल, पी. डब्ल्यू. 2, प्रिती सिंह, पी. डब्ल्यू. 3, आर्यन टांक, पी. डब्ल्यू 4, धर्मेश कुमार शर्मा, पी. डब्ल्यू. 5 तथा पी. डब्ल्यू. 6 प्रवीण सिंह उक्त समस्त गवाहान जाँच दल के सदस्य होना बताये गये है, कमल किशोर ने वक्त घटना दिनांक 27.09.2021 को मौके पर टीम के साथ मौजूद होना बताया है। उक्त सभी जाँच दल के सदस्य जिन्हें पी. डब्ल्यू. 1 लगायत पी. डब्ल्यू. 6 के रूप में पेश किया गया है, उक्त समस्त गवाहान द्वारा घटना दिनांक 21.05.2022 की होना बताई है और उक्त दिनांक को समय 6 बजे मौके पर पहुंचकर विद्युत चोरी के संबंध में कार्यवाही कर वी.सी.आर. सं. 53/39 प्रदर्श पी–3 के संबंध में अपने बयान उल्लेखित किये है, जब कि सर्तकता जाँच दल के कमलकिशोर मुण्डोतिया द्वारा दिनांक 27.09.2021 को वी.सी.आर. भारी गई जो प्रदर्श पी–2, 46/45 के क्रम में अपने सशपथ कथन दर्ज कराये है। उक्त समस्त गवाहान द्वारा प्रदर्श पी–3 जो कि दिनांक 21.05.2022 को मुर्तिब की गई कार्यवाही के समय स्वयं का मौजूद होना और प्रदर्श पी–3 वी सी आर की कार्यवाही में शामिल होना बताया है। उक्त घटनाक्रम के संबंध में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, आरोप–पत्र मात्र घटना दिनांक 27.09.2021 के क्रम में भरी गई वी सी आर. 46/45 के संबंध में प्रस्तुत किया गया और इसी के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप भी विरचित किये गये है। अतः जाब्ते के गवाहान पी. डब्ल्यू. 1 लगायत पी. डब्ल्यू. 6 के बयान कमलकिशोर मुण्डोतिया,

"Authenticated Document"

पी. डब्ल्यू. 9 के बयानों को समर्थित नहीं करते है। कमल किशोर द्वारा घटना दिनांक 27.09.2021 के क्रम में स्वयं के बयानात दर्ज कराये है, जिसके संबंध में उक्त गवाहान पी. डब्ल्यू. 1 लगायत पी. डब्ल्यू. 6 द्वारा कोई कथन नहीं किये गये है।

13. अभियोजन की ओर से उक्त घटना दिनांक 27.09.2021 के संबंध में एक मात्र गवाह तृप्ति गौतम को परीक्षित करवाया है, जिसने दिनांक 27.09.2021 को टीपीडीएल में लीड इन्जिनियर के पद पर पदस्थापित होना व उस रोज वीसीआर संख्या 46/45 उपभोक्ता नवरतन कंजर पुत्र फुलचंद कंजर के विरूद्ध भरी जाना जाहिर कर, जिसका नोटिस मेरे द्वारा दिया गया जो प्रदर्श पी–17 दिया जाना जाहिर किया गया तथा फोटोग्राफस के संबंध में धारा 65 बी का प्रमाण–पत्र पर उसके हस्ताक्षर से जारी किया जाना बताया है। जिरह में उक्त गवाह ने यह जाहिर किया है कि मैं मौके पर नहीं गई थी, यह मेरा कार्य नहीं है, तथा मुझे लोग बुक की भी जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी–5 लगायत पी–15 फोटोग्राफस में विद्युत चोरी होते हुऐ नजर आ रही है के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं गई थी। यह कहना सही है कि मुझे घटनास्थल की कोई जानकारी नहीं हैं। मेरे द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–17 जो अभियुक्त को स्पीड पोस्ट से भेजा गया था वह अभियुक्त को प्राप्त हो गया हों उसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली पर मौजुद नहीं हैं। मेरे पास जो वी.सी.आर. आती है, उसी के आधार पर अभियुक्त कों नोटिस भेजा जाता हैं, यही मेरा कार्य हैं। अर्थात कमलकिशोर मुण्डोतिया के समर्थन में एक मात्र गवाह तृप्ति गौतम, पी. डब्ल्यू. 7 है, जिसने घटना दिनांक 27.09.2021 को वी सी आर. सं. 46/45 के आधार पर अभियुक्त को नोटिस प्रदर्श पी–17 जारी किया जाना बताया है। वह गवाह स्वमेव ही मौके की गवाह नहीं होना जाहिर करती है और एक मात्र स्वयं का कार्य नोटिस जारी किया जाना बताया गया है। नोटिस की प्राप्ति या पोस्टल रसीदात आदि का पत्रावली पर मौजूद नहीं होना यह गवाह स्वयं स्वीकार करती है। उक्त गवाह घटनास्थल की एवं मौके की चश्मदीद साक्षी नहीं है।

14– इस प्रकार कमलकिशोर मुण्डोतिया, पी. डब्ल्यू. 9 के सशपथ कथनों की ताईद किसी भी गवाह द्वारा नहीं हो पाई है। यहाँ पर यह भी उल्लेख किया जाना उचित है कि

स्वयं परिवादी कमल किशोर द्वारा नवरतन के मौके पर मौजूद होने के संदर्भ में कोई कथन नहीं किये है और यह जाहिर किया है कि मौके पर परिसर में संजना पत्नी रामजीलाल मिली थी। नवरतन को उक्त विद्युत चोरी से संबंधित किये जाने का क्या आधार रहा है, इस संबंध में परिवादी द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–34 में तथा अपने सशपथ कथनों में कोई कथन नहीं किये है। वादग्रस्त परिसर के मालिकाना हक के दस्तावेज नवरतन के पक्ष में हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। एक मात्र नवरतन के मालिकाना हक एवं कब्जे के संबंध में पार्षद का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–36 पेश किया गया है, परन्तु वार्ड पार्षद विनोद कुमार को मामले में परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे उक्त दस्तावेज साक्ष्य में प्रमाणित हो पाता। इस प्रकार से जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि कमल किशोर, परिवादी के सशपथ कथनों की ताईद स्वयं परिवादी के साथ गये जाँच दल के सदस्यों द्वारा वी.सी.आर. सं. 46/45 दिनांकित 27.09.2021 के संदर्भ में अपने सशपथ कथनों के दौरान नहीं की गई है। नोटिस जारी करने वाली गवाह तृप्ति गौतम, पी. डब्ल्यू. 7 घटना की साक्षी नहीं है, साथ ही परिवादी द्वारा नवरतन को परिसर के मालिकाना हक एवं कब्जे को मानते हुऐ उपभोक्ता मानकर विद्युत चोरी करना बताया है, जब कि मौके पर उपभोक्ता संजना पत्नी रामजीलाल का होना जाहिर किया गया है।

15– अनुसंधानाधिकारी बुद्धिप्रकाश, पी. डब्ल्यू. 10 द्वारा भी अपनी जिरह के दौरान यह जाहिर किया है कि घटनास्थल के परिसर के मालिकाना हक बाबत दस्तावेज नहीं मिले थे, क्योंकि सांसी बस्ती में कब्जे की जमीने है, पार्षद का प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली किया गया था। यह कहना सही है कि उक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग करते हुऐ संजना पत्नी रामजीलाल मौके पर मिली थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–17 अभियुक्त को दिया गया हो या उसे भेजा गया हो इसकी कोई प्राप्त रसीद पत्रावली पर नहीं है।

16. पत्रावली पर जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है कि अभियुक्त विद्युत चोरी करते हुऐ मौके पर मिला हो, ऐसा किसी भी साक्षीगण के कथनों में उल्लेखित नहीं हुआ है। साथ ही गवाहान द्वारा संजना पत्नी रामजीलाल के मौके पर परिसर में मौजूद मिलना बताया है, नवरतन उक्त परिसर से किस प्रकार से संबंद्धित है, वह कब्जे या मालिकाना हक

में है, इस संबंध में एक मात्र पार्षद का पत्र प्रदर्श पी–36 पेश किया गया है, उक्त दस्तावेज को पार्षद की साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं माना जा सकता, अन्य कोई बिजली का बिल या मालिकाना हक का कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है, जिससे वादग्रस्त परिसर जिसमें विद्युत चोरी करना पाया गया, नवरतन से संबंधित हो यह प्रमाणित हो सकें। वी.सी.आर. प्रदर्श पी–34 के क्रम में जारी किये गये नोटिस प्रदर्श पी–17 अभियुक्त को प्राप्त हो चुके हो, ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पोस्टल रसीद आदि पत्रावली पर पेश नहीं की गई है एवं कमल किशोर मुण्डोतिया, पी. डब्ल्यू. 9 के कथनों को अन्य जाँच दल के सदस्य जो पी. डब्ल्यू. 2 लगायत पी.डब्ल्यू. 6 के रूप में परीक्षित हुऐ है ने अपने सशपथ कथनों से समर्थित नहीं किया है। मामले में अनुसंधानाधिकारी एवं परिवादी स्वयं ने महत्वपूर्ण एवं संबंधित दस्तावेजात को नजरअंदाज किया है, जिनका पत्रावली पर अभाव होने के कारण उक्त कमियों का लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है।

परिणामतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्याभाव में साबित नहीं कर पाया है, फलतः वह निम्नतः दोष मुक्त घोषित होने का अधिकारी पाया जाता है।

::<u>आदेश::</u>

17. अतः अभियुक्त नवरतन पुत्र स्व. श्री फूलचंद, उम्र 32 वर्ष, निवासी अजयनगर,पी एस रामगंज, अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम से संदेह का लाभ दे दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

इस प्रकरण में जब्तशुदा माल/वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील/ रिविजन नियमानुसार विद्युत विभाग को लौटाया जावे। अभियुक्त द्वारा नियमित हाजिरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

न्यायालय के आदेशानुसार धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त की ओर से अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् (06) माह की अवधि के

पच्चीस हजार रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक कराये जा चुके है कि इस निर्णय की अपील होने पर वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जावेगा।

(डॉ. रेनू श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश,
विद्युत अपराध अधिनियम, जिला अजमेर।

18. निर्णय आज दिनांक 29 अप्रेल, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर मुद्रांकित कर सुनाया गया ।

(डॉ. रेनू श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश,
विद्युत अपराध अधिनियम, जिला अजमेर।

"Authenticated Document"